न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 113/2021

प्रार्थीगण :–

1. जगदीश चन्द्र पुत्र मोतीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी बालोतरा
2. मंजूला पत्नि जगदीश चन्द्र जाति मेवाड़ा कलाल निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा ज़िला–बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण 1 श्री करणसिंह सोंलकी प्रार्थीनी वकील

2. पेरोकार सरकार

आदेश दिनांक :–16.06.2021

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा पचपदरा के खसरा संख्या –1046/955 रकबा 0–16 बीघा, खसरा संख्या 1048/956 रकबा 0–16 बीघा की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा न0 739 मौजा पचपदरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/949 दिनांक 04.06.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा पचपदरा के खेत खसरा न0 1046/955 एवं 1048/956 प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार ही न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 73[illegible] हाईवे आवागमन हेतु रास्ता तक है। रास्ते की कुल लम्बाई व 30 फीट चौडाई [illegible] पर 2 बिस्वा 4 बिस्वांशी होती है। ग्राम पचपदरा [illegible] भूमि की डी0एल0सी0 13,23,180/ रूपये प्रति बीघा है जो नक्शा में रास्त[illegible]तावित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:30:30 IST
Reason: Self Attested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण वकील एवं राजकीय पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा पचपदरा के खेत खसरा न0 1046/955 एवं 1048/956 में आवागमन हेतु रास्ता ख0न0 739 मौजा पचपदरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा में अंकित अनुसार दर्शाये गये रासते का अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थीगण के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा पचपदरा के खसरा संख्या –1046/955 रकबा 0–16 बीघा, खसरा संख्या 1048/956 रकबा 0–16 बीघा की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा न0 739 मौजा पचपदरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, के अनुसार है जो प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा पचपदरा के खसरा संख्या –1046/955 रकबा 0–16 बीघा, खसरा संख्या 1048/956 रकबा 0–16 बीघा की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा न0 697 मौजा पचपदरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्षाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, के अनुसार 2 बिस्वा 04 बिस्वासी भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 1323180/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित 2 बिस्वा 04 बिस्वासी भूमि की राशि 1,45,550 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 2,91,100 /– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.06.2021 को न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:30:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner